रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, नवम्बर 29—दिसम्बर 5, 2015, शनिवार/अग्रहायण 8—अग्रहायण 14, 1937

No. 23]NEW DELHI, NOVEMBER 29—DECEMBER 5, 2015, SATURDAY/AGRAHAYANA 8—AGRAHAYANA 14, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2015

का.नि.आ.45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) नौसैनिक आयुध्यादि निरीक्षण संगठन, तकनीकी पर्यवेक्षीय और परीक्षक, मेकेनिक और गोला बारूद तथा विस्फोटक सामग्री समूह 'ख' और समूह 'ग' कर्मचारीवृन्द पद भर्ती नियम, 2008 को जहां तक उसका संबंध परीक्षक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया है, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में परीक्षक (नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन, परीक्षक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जतियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछ्ड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
परीक्षक	70* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 2400	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	() किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से भौतिकी या रसायन शास्त्र में सीनियर सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2); और () किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समतुल्य मान्यता प्राप्त संस्था में तीन वर्ष की शिक्षुता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि,	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों

व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	यदि कोई हो	या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	**समूह 'ग विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. संयुक्त निदेशक, निरीक्षण संगठन नौसैनिक आयुधादि - अध्यक्ष 2. नौसेनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन में उप निदेशक रैंक का अधिकारी – सदस्य 3. किसी नौसैनिक स्थापन में सहायक निदेशक की रैंक के दो अधिकारी या समतुल्य – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. सी.पी. (एनजी)/2817/परीक्षक/भर्ती नियम/369/डी/नियुक्तियां/2015]

दलपत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd November, 2015

S.R.O. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), Naval Armament Inspection Organisation, Technical Supervisory Staff and Examiner Mechanic and Ammunition and Explosives, Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Rules, 2008 in so far as it relates to the post of Examiner, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Examiner (Naval Armament Inspection Organisation) in Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy), namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy), Naval Armament Inspection Organisation, Examiner, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or scales of pay.-** The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualification etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-service men, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Examiner	70* (2015) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs.2400.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants up to 40 years of age in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(i) Senior Secondary School Certificate Examination (10+2) from a recognised Board or Institution with Physics and Chemistry; and (ii) Three years Apprenticeship from an Industrial Training Institute or equivalent recognised institution.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or absorption or deputation, grades from which promotion or absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.	Not applicable.	**Group "C" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: -** (1) Joint Director, Naval Armament Inspection Organisation – Chairman. (2) Officer of the rank of Deputy Director, Naval Armament Inspection Organisation – Member. (3)Two officers of the rank of Assistant Director or equivalent from any Naval Establishment – Members.	Not applicable.

[F. No. CP(NG)/2817/Examiner/RR/369/D/Apptts/2015]

DALPAT SINGH, Under Secy.

4